श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय

बादशाहीथौल (टिहरी गढ़वाल) उत्तराखण्ड़-२४६१६६

Sri Dev Suman Uttarakhand University

Badshahithaul (Tehri Garhwal) Uttarakhand - 249199

पत्रांकः– 1926/एसडीएसयूवी/बी0एड0–2023–25/2023 दिनांकः 08 जून, 2023

(बी0एड0 प्रवेश परीक्षा 2023–25)

एतत्द्वारा सर्वसम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त राजकीय/अशासकीय महाविद्यालयों/स्ववित्त पोषित बी0एड0 शिक्षण संस्थानों में सत्र 2023–25 में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन **दिनांक 16 जुलाई, 2023 (रविवार)** को गढवाल मण्डल के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर निम्नलिखित विवरणानुसार किया जायेगा–

01	ऑनलाईन आवेदन पत्र पंजीकरण प्रारम्भ करने की तिथि	दिनांक 09 जून, 2023
02	ऑनलाईन आवेदन पत्र पंजीकरण की अन्तिम तिथि	दिनांक 25 जून, 2023
03	परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि (ऑनलाईन)	दिनांक 30 जून, 2023
04	प्रवेश परीक्षा की तिथि	16 जुलाई, 2023
प्रवेश परीक्षा शुल्क विवरण–		
01	सामान्य/अन्य पिछडा वर्ग/ई0डब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु	रू0 1000.00
02	अनु0जाति/अनु0 जनजाति/दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु	रू0 600.00

बी0एड0 प्रवेश परीक्षा–2023–25 में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वैबसाईट **http/www.sdsuv.ac.in** से प्राप्त कर सकते हैं।

08/06/2023

(के0 आर0 भट्ट),
कुलसचिव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव कुलपति को, मा0 कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. सम्पादक, दैनिक जागरण एवं दैनिक भास्कर को इस आशय से कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को छात्र–हित में मध्यनजर रखते हुये 6X4 साईज में अपने सम्मानित समाचार पत्रों में न्यूनतम दरों में 10 प्रतिशत की छूट के साथ प्रकाशित करने का करें।
3. परीक्षा नियन्त्रक।
4. वित्त अधिकारी।
5. सहायक कुलसचिव, वित्त/प्रशासन।
6. सहायक परीक्षा नियन्त्रक व्या0/मु0।
7. श्री गजेन्द्र रावत को विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. कार्यालय प्रति।

08/06/2023

(के0 आर0 भट्ट),
कुलसचिव।

Sri Dev Suman Uttarakhand University, Badshahithaul,

Tehri Garhwal, Uttarakhand

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढवाल, उत्तराखण्ड

Information Brochure/Bulletine for

विवरणिका

B.ED ENTRANCE EXAMINATION FOR ACADEMIC SESSION 2023-25

बी0एड0 प्रवेश परीक्षा
सत्र 2023–2025 हेतु

Adm-Rahul 6/6/2023 3:57:53 PM

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड़ विश्वविद्यालय
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड़–249 199

अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र केवल ऑन–लाईन पद्धति से भरा जायेगा तथा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रखी जानी है जिसे काउंसलिंग के समय प्रस्तुत किया जायेगा।

बी0एड0 प्रवेश परीक्षा 2023 हेतु ऑनलाईन आवेदन हेतु महत्वपूर्ण तिथियाँ

01	ऑन–लाईन आवेदन पत्र पंजीकरण प्रारम्भ होने की तिथि	09.06.2023 (शुक्रवार)
02	ऑन–लाईन आवेदन पत्र पंजीकरण की अन्तिम तिथि	25.06.2023 (रविवार)
03	परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	30.06.2023 (शुक्रवार)
04	प्रवेश परीक्षा तिथि	16.07.2023 (रविवार)

प्रवेश परीक्षा का शुल्क

1– सामान्य / अन्य पिछड़ा / ई0डब्ल्यू0एस0 वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु – रू0 1000 / –
2– अनु0जाति / अनु0 जनजाति / दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु – रू0 600 / –

नोटः– ऑन लाईन आवेदन के शुल्क जमा करने हेतु बैंक शुल्क अतिरिक्त देय होगा।

बी0एड0 प्रवेश परीक्षा 2023–25 के लिये प्रवेश परीक्षा केन्द्र

01–गोपेश्वर	02–कर्णप्रयाग	03–अगस्तमुनी
04–श्रीनगर	05–पौड़ी	06–कोटद्वार
07–नई टिहरी	08–उत्तरकाशी	09–ऋषिकेश
10–देहरादून	11–रूड़की	12–हरिद्वार

नोट– प्रवेश परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों को निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा, केन्द्रों की संख्या न्यूनतम रखने का प्रयास किया जायेगा और परीक्षा केन्द्र उन्हीं संस्थाओं को बनाया जायेगा, जिनकी स्वच्छ परीक्षा की ख्याति रही होगी।

:– प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम :–

क्रमांक	दिनांक	दिवस	समय	परीक्षा प्रश्न–पत्र
01	16.07.2023	रविवार	10:00–01:00 बजे	प्रथम प्रश्न–पत्र भाषा तथा सामान्य ज्ञान द्वितीय प्रश्न–पत्र–सामान्य अभियोग्यता तथा विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण कला / विज्ञान / वाणिज्य

बी0एड0 प्रवेश परीक्षा सत्र 2023–25 (दो वर्षीय)

1. आवश्यक निर्देश (Important Instruction)

अभ्यर्थी आवेदन भरने से पूर्व आवेदन पत्र एवं इस विवरणिका में अन्तिम निर्देशों एवं नियमों को ध्यानपूर्वक पढ लें तथा सभी निर्देशों को पढने के बाद ही आवेदन पत्र भरें। आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि के लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। बी0एड0 कक्षा में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के पास राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता होना आवश्यक है।

2. अवधि

बी0एड0 कार्यक्रम दो शैक्षणिक वर्ष (वार्षिक आधार) की अवधि का होगा। तथापि कोई अभ्यर्थी इस कार्यक्रम को प्रवेश से लेकर अधिकतम तीन वर्ष तक पूर्ण कर सकता है।

3. कार्य दिवस

(क) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित कार्य दिवसों में पठन–पाठन हेतु उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(ख) सभी पाठ्यक्रमचर्यात्मक कार्य तथा प्रायोगिक कार्य के लिये छात्र–अध्यापकों हेतु न्यूनतम उपस्थिति 80 प्रतिशत होगी तथा स्कूलबद्व प्रशिक्षण के लिये न्यूनतम उपस्थिति की सीमा 90 प्रतिशत होगी।

4. पात्रता (Eligibility)

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा जारी नवीनतम प्रवेश नियम 3.2 अर्हता के अन्तर्गत बी0एड0 कक्षा में प्रवेश के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निम्नवत् हैः–

(अ) बी0एड0 कक्षा में प्रवेश के लिये अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मामले में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक अथवा परास्नातक अथवा इसके समकक्ष किसी अन्य परीक्षा में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है, परन्तु इस नियम के अन्तर्गत 44.09 प्रतिशत को 45 प्रतिशत नही माना जायेगा।

(ब) सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यहाँ तक कि 49.99 प्रतिशत अंक भी मान्य नही होंगें।

(स) जो अभ्यर्थी वर्ष 2023 की मुख्य परीक्षा में स्नातक/परास्नातक अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मलित हुए/हो रहे हैं, वे सत्र 2023–25 की बी0एड0 प्रवेश परीक्षा में सम्मलित होने के लिये आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को बी0एड0 कक्षा में प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग के समय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा बी0एड0 कक्षा में प्रवेश उपरोक्त बिन्दु (04) में निर्धारित अर्हता धारक होना अनिवार्य होगा।

(द) इंजीनियरिंग, जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, में 55 प्रतिशत अंक (54.99 अंक भी मान्य नही होंगे) प्राप्त करने वाले अथ्यर्थी अथवा इनके समतुल्य कोई अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिये पात्र होंगे।

नोटः– आरक्षित श्रेणी (अनुसचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी) के अभ्यर्थियों को इंजीनियरिंग, जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, में 50 (49.99 अंक भी मान्य नही होंगे) प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

(घ) अभियान्त्रिकी एवं तकनीकी विद्याशाखा के अभ्यर्थी ध्यान दें कि एन0 सी0 टी0 ई0 की गाईडलाईन के अनुसार बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु उनकी अर्हता सिर्फ उनकी विज्ञान एवं गणित विषयों में विशेषज्ञता सहित स्नातक उपाधि के आधार पर निर्धारित की जाती है न की उनकी अभियान्त्रिकी एवं तकनीकी के परास्नातक के उपाधि के आधार पर।

1. प्रवेश परीक्षा का स्वरूप एवं प्रश्न पत्र।

3.1 परीक्षा का समय 03 घण्टा होगा।

3.2 बी0एड0 प्रवेश परीक्षा का स्वरूप विगत वर्षों की भाँति निम्नानुसार होगाः–

	प्रशन पत्र का नाम	अवधि	अधिकतम अंक	अनिवार्यता
B-1	A-General Knowledge and General Hindi सामान्य ज्ञान तथा सामान्य हिन्दी	01:30 घण्टा	100, अंक (50 प्रश्न)	अनिवार्य
	B-Genral Knowledge and General English सामान्य ज्ञान तथा सामान्य अंग्रेजी		100, अंक (50 प्रश्न)	
B-2	General Intellegence सामान्य अभियोग्यता	01:30 घण्टा	100, अंक (50 प्रश्न)	अनिवार्य
	Specific Aptitude Test-Art/Science/Commerce		100, अंक (50 प्रश्न)	

विद्यार्थी को हिन्दी भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा में किसी एक को चुनना होगा।

प्रत्येक परीक्षार्थी निम्नांकित में से किसी एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र में सम्मिलित होगा–

1. कला वर्ग (Arts Group)
2. वाणिज्य वर्ग (Commerce Group)
3. विज्ञान वर्ग (Science Group)

3.3 परीक्षा में सफल होने के लिये सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को परीक्षा में दानों प्रश्न–पत्रों में मिलाकर 40 प्रतिशत अर्थात कुल 80 अंक लाना अनिवार्य होगा तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को परीक्षा में दोनों प्रश्न–पत्रों में मिलाकर 27 प्रतिशत अर्थात कुल 54 अंक लाना अनिवार्य होगा।

नोटः– विद्यार्थी को दोनों प्रश्न–पत्रों (B1&B2) में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। किसी एक प्रश्न पत्र में सम्मिलित न होने की दशा में उसका परीक्षाफल घोषित नही किया जायेगा।

5. प्रवेश हेतु आरक्षण (Reservation)

वर्तमान में लागू विभिन्न शासनादेशों के तहत बी0एड0 पाठ्यक्रम में आरक्षण के नियम निम्नानुसार है–

(01) आरक्षण का प्रतिशत निम्नानुसार है–

उर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation)

1. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	14 प्रतिशत
2. अनुसूचित जाति (SC)	19 प्रतिशत
3. अनुसूचित जनजाति (ST)	04 प्रतिशत
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	10 प्रतिशत (स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त)

नोट– केवल उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु इस श्रेणी का लाभ अनुमन्य होगा। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को अद्यतन अवधि का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अद्यतन प्रमाण–पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना सम्भव नही होगा।

क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)

1. दिव्यांग (Handicapped-PH)	05 प्रतिशत
2. महिलाएं (Women)	30 प्रतिशत
3. भूतपूर्व सैनिक (Ex-Serviceman)	05 प्रतिशत
4. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (Dependents of freedom fighte)	02 प्रतिशत

Adm-Rahul 6/6/2023 3:57:53 PM

(02) अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आरक्षण श्रेणी हेतु आवेदन पत्र में उस श्रेणी को भरें जिस श्रेणी लिये दावा प्रस्तुत करना चाहते हैं। अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण–पत्र व आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र काउन्सिलिंग एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करेंगे। प्रमाण–पत्र के अभाव में आरक्षण श्रेणी का दावा मान्य नही होगा।

(03) आरक्षण श्रेणी का लाभ केवल संलग्न/आधिकारिक प्रारूपों पर प्राप्त प्रमाण पत्रों पर ही दिया जायेगा। पृथक से भाषाबद्ध प्रमाण पत्र मान्य नही होंगे। आवेदन पत्र में उल्लिखित आरक्षण की श्रेणी का प्रमाण पत्रों की जाँच के समय संज्ञान लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन बाद में सम्भव नही हो पायेगा।

(04) अनधिकृत या कृते अधिकारी द्वारा प्रदत्त/प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र मान्य नही होंग। ऐसे प्रमाण पत्र स्वीकार्य नही होंगे जो कि नियमों एवं मानकों के अनुसार नही है।

(05) दिव्यांग प्रमाण–पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। चर्मरोग से ग्रसित, हकलाने वाले मूक–बधिर अभ्यर्थी इस प्रवेश परीक्षा के लिये आवेदन न करें। इनके प्रवेश पर कोई विचार सम्भव नही होगा।

6. अन्य निर्देश

01. ऑन–लाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय या किसी सस्थान में जमा नही होगी। अभ्यर्थी आवदेन पत्र की प्रति अपने पास सुरक्षित रखे तथा काउन्सिलिंग के समय समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों, जाति प्रमाण पत्र तथा अधिभार प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। परीक्षा शुल्क चालान की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी आवश्यक है।

02. बी0एड0 सत्र प्रवेश परीक्षा आवेदन को सावधानीपूर्वक भरें तथा सम्बन्धित वर्ग एवं श्रेणी पर तदनुसार अंकित करें, किसी भी त्रुटि के लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

03. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन पत्र में दिये गये प्रारूप के अनुसार ही सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, इसी प्रकार अधिमान अंकों हेतु भी प्रमाण पत्र का प्रारूप इस विवरणिका में दिया गया है। इस प्रकार के सभी प्रमाण पत्र आवेदन पंजीकरण के पूर्व निर्गत होने आवश्यक हैं।

04. ऑन–लाईन आवेदन पत्र के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का आवेदन पत्र मान्य नही होगा। आवेदन पत्र की फोटो कॉपी मान्य नही होगी।

05. ऑन–लाईन आवेदन पत्र भरे जाने के उपरान्त कोई भी अधिभार अंक सम्बन्धी अथवा कोई भी अन्य प्रमाण पत्र का दावा स्वीकार नही किया जायेगा।

Adm-Rahul 6/6/2023 3:57:53 PM

06. बी0एड0 प्रशिक्षण में एक संस्थान से दूसरे संस्थान में स्थानान्तरण अनुमन्य नही हैं। जिस संस्थान में प्रवेश आवंटित होगा उसी महाविद्यालय से बी0एड0 पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। कोई प्रशिक्षणार्थी स्थानान्तरण हेतु आवेदन न करें।

07. किसी भी अभ्यर्थी का वर्ग (Category) परिवर्तित नही होगा। अभ्यर्थी ने जिस वर्ग को ऑनलाईन आवेदन पत्र पर अकित किया है उसका वर्ग वही सही होगा।

08. अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थी निर्धारित स्थान पर अपने अल्पसंख्यक समुदाय का वर्ग लिखें, था जैन, बौद्ध, मुस्लिम, इसाई आदि।

09. बी0एड0 कक्षा में प्रवेश उत्तराखण्ड शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा। उन्हे आवेदन भरने से पहले ध्यान से पढ लीजिए।

10. यदि किसी अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण–पत्र जाली पाये गये तो सम्बन्धित अभ्यर्थी का प्रवेश रद्द करने का विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार होगा, तथा कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

11. किसी भी दशा में प्रवेश परीक्षा हेतु जमा किया गया शुल्क वापस नही किया जायेगा, और न ही आगामी वर्षों हेतु सुरक्षित रखा जायेगा।

12. यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी आरक्षित श्रेणी के लिये आवेदन किया है और अपने आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न नही किया है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त किये बिना सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

13. जिन अभ्यर्थियों ने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय एवं हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की हो एवं इण्टरमीडिएट स्तर तक अंग्रेजी विषय लेकर परीक्षा उत्तीर्ण की हो वे बी0एड0 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह माने जायेंगे।

14. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी बी0एड0 प्रवेश परीक्षा में सम्मलित होने हेतु अर्ह हैं।

15. जिन अभ्यर्थियों ने स्नातक उपाधि अन्य राज्यों के किसी विश्वविद्यालय से प्राप्त की है तो उन्हे अन्य राज्य वर्ग में रखा जायेगा। परन्तु उत्तराखण्ड निवासी ने यदि स्नातक उपाधि अन्य राज्यों के किसी विश्वविद्यालय से प्राप्त की है तो उत्तराखण्ड राज्य वर्ग में रखने हेतु सम्बन्धित जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल निवास प्रमाण–पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

16. बी0एड0 प्रवेश परीक्षा 2023 के लिये परीक्षा केन्द्र बारह शहरों अर्थात गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, अगस्त्यमुनि, श्रीनगर, पौड़ी, कोटद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी, ऋषिकेश, देहरादून, रूड़की तथा हरिद्वारा में प्रस्तावित किये गये हैं। अभ्यर्थी को इनमें से किसी एक शहर का चयन कर आवेदन पत्र में चयनित शहर को ही अंकित करना है। केन्द्र आवंटन के उपरान्त कोई भी केन्द्र परिवर्तन करना सम्भव नही होगा।

17. आवेदन पत्र पर संलग्न समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र की छाया प्रतियां स्वयं हस्ताक्षरित होनी अनिवार्य है तभी काउन्सिलिंग में सम्मिलित होने दिया जायेगा। अधिभार अंकों के लिये प्रमाण–पत्रों के प्रारूप आवेदन पत्र पर संलग्न है। स्थानान्तरण तथा प्रवजन प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी प्रवेश के समय लाना आवश्यक है, अन्यथा प्रवेश देय नही होगा।

18. बी0एड0 कक्षा में प्रवेश के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये कि अभ्यर्थी बी0एड0 प्रशिक्षण के लिये पूर्णतः स्वस्थ्य है। प्रवेश के बाद प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर स्थानान्तरण नही किये जायेंगे।

19. बी0एड0 प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी जानकारी के लिये पूर्ण विवरण देने पर ही विश्वविद्यालय कार्यालय उत्तर दे सकेगा तथा अपेक्षित कार्यवाही की जा सकती है।

20. वाणिज्य के स्नातक को कला समूह में रखा जायेगा। इस प्रकार दो समूह होंगे।

(1) कला एवं वाणिज्य (कला समूह) **(2) विज्ञान समूह**

परन्तु एप्टीट्यूट टेस्ट–कला वाणिज्य के अभ्यर्थियों के लिये अलग–अलग होगा। अभ्यर्थी केवल उसी समूह Group को चुन सकता है जिस समूह Group से उसने स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण की हो।

21. अभ्यर्थियों के निम्नलिखित वर्ग (Category) हैं एवं उपवर्ग हैं जो कि शासनादेश के अनुसार संशोधित किये गये हैं।

वर्ग **(Category)**	कोड	उपवर्ग	कोड
सामान्य (General)	**(Gen)**	दिव्यांग (Handicapped)	H
अनुसूचित जाति (SC)	**(SC)**	स्वतंत्रता संग्रमा सेनानी आश्रित	F
अनुसूचित जनजाति (ST)	**(ST)**	भूतपूर्व सैनिक स्वयं अभ्यर्थी	Ex-s
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	**(OBC)**	महिला अभ्यर्थी	W

<u>विशेषः</u> एक अभ्यर्थी केवल एक ही वर्ग चुन सकता है। एक बार वर्ग (Category) को चुनने के उपरान्त अन्य किसी वर्ग में समायोजन किसी भी दशा में नही किया जायेगा।

22. प्रवेश परीक्षा हेतु पात्रता के सम्बन्ध में ऑनलाईन आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी के दावे के आधार पर प्रवेश परीक्षा/काउन्सिलिंग करायी जायेगी, किसी भी प्रकार की गलती अथवा भ्रामक जानकारी आवेदन पत्र में भरने का उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का स्वयं का होगा।

23. प्रवेश परीक्षा का परीक्षाफल घोषित करने के उपरान्त विभिन्न सम्बद्ध संस्थानों में प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग का आयोजन किया जायेगा। काउन्सिलिंग के समय अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की भी जाँच की जायेगी।

7. अधिमान अंक

1. अधिभार अंकों का आंवटन–

निम्नलिखित श्रेणी में से किसी एक में आने वाले अभ्यर्थी को ऐसे प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त अंक आवंटित किये जायेंगे, किन्तु उसका कुल योग 25 अंक से अधिक नही होगा:–

(क) राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अथ्यर्थियों को।

(1) इण्डीविजुअल आइटम में अभ्यर्थियों द्वारा–

1. प्रथम स्थान पाने पर	15 अंक
2. द्वितीय स्थान पाने पर	10 अंक
3. तृतीय स्थान पाने पर	05 अंक

(2) टीम आइटम में–

1.सर्वविजेता (चैम्पियन) टीम सदस्य होने पर	15 अंक
2.उपविजेता (रनर्स अप) टी सदस्य होने पर	10 अंक
3.प्रतियोगिता टीम का सदस्य होने पर	05 अंक

नोट (1) उपर्युक्त मद संख्या 1, 2 एवं 3 के अन्तर्गत केवल एक ही आइटम का लाभ देय होगा, अर्थात यदि किसी छात्र ने एक से अधिक टीम अथवा आइटम में भाग लिया है, तो उसे एक ही टीम/आइटम का लाभ देय होगा।

(2) राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के प्रसंग में शासन के खेलकूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

(ख) निम्नलिखित मदों में से केवल एक का लाभ देय होगा–

नेशनल केडिट कोर (NCC) से सी प्रमाण पत्र पाने वाले पुरूष अभ्यर्थी/महिला अभ्यर्थी तथा जी–2 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को 15 अंक

या

नेशनल केडिट कोर में बी प्रमाण पत्र पाने वाले पुरूष तथा महिला अभ्यर्थी तथा जी–1 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को 10 अंक

या

राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा करने वाले अभ्यर्थी को 05 अंक

Adm-Rahul 6/6/2023 3:57:53 PM

या

राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को–(स्नातक कक्षा के द्वितीय वर्ष में) – 10 अंक

या

राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा स्नातक में दो वर्षों में तथा दो विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को – 15 अंक

या

राष्ट्रीय सेवा योजना में सी प्रमाण पत्र पाने वाले अभ्यर्थी को – 15 अंक
राष्ट्रीय सेवा योजना में बी प्रमाण पत्र पाने वाले अभ्यर्थी को – 10 अंक
स्काउट्स एवं गाईड्स का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को – 15 अंक

या

स्काउट्स एवं गाईड्स का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को – 10 अंक

या

स्काउट्स एवं गाईड्स का ध्रुव पद या गुरूपद प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को – 05 अंक

(ग) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के पुत्र/पुत्री/पुत्र का पुत्र/अविवाहित पुत्री – 15 अंक

(घ) ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवरत या विसैन्यीकृत या सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हों

या

ऐसे कर्मचारी जो दिव्यांग गुमशुदा या मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी से उनके पुत्र/पुत्री/पत्नी के रूप में सम्बन्धित हो – 15 अंक

(ड) ऐसे अभ्यर्थी जो पुलिस या पी0ए0सी0 या बी0एस0एफ0 या आई0टी0बी0पी0 या होमगार्ड, सेवारत हो या ऐसे कर्मचारी का पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी के रूप में सम्बन्धित हो जो कार्यरत या सेवा निवृत्त दिव्यांग या सेवारत रहते हुए मृत हो गया हो – 15 अंक

(च) ऐसे महिला अभ्यर्थी जो विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता हो ऐसे अभ्यर्थी को कानूनी प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) दाखित करने होंगे।

(छ) मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के पूर्णकालिक, नियमित, एवं वैतनिक शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों या उनके (वित्त विहीन– मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों को अंक देय नही होंगे) – 15 अंक

(2) यदि किसी अभ्यर्थी को उपर्युक्त (क) से (छ) तक उल्लिखित मदों में 25 से अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो उस दशा में अधिकतम 25 अंक ही श्रेष्ठता सूची में जोड़े जायेंगे।

(3) स्वयं अभ्यर्थी या माता/पिता के एक ही विभाग में कार्यरत होने पर केवल एक ही व्यक्ति के प्रमाण पत्र के आधार पर अधिभार अंक देय होंगे। अधिकृत एवं कृते अधिकारी द्वारा प्रदत्त अथवा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र मान्य नही होंगे, तथा ऐसे प्रमाण पत्रों में अधिभा अंक देय नही होंगे।

Adm-Rahul 6/6/2023 3:57:53 PM

क्र0सं0	अधिभार अंकों से सम्बन्धित प्रमाण पत्र	प्रति हस्ताक्षरित हेतु सक्षम अधिकारी
01	एन0सी0सी0 का बी तथा जी प्रमाण पत्र	एन0सी0सी0 निदेशालय व रक्षा मंत्रालय का प्रमाण पत्र।
02	एम0एस0ए0 के अन्तर्गत संचालित शिविरों में भाग लेने का प्रमाण पत्र (स्नातक के द्वितीय वर्ष में ही प्रमाण पत्र मान्य होगा)	सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति या कुलपति द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र
03	एन0एस0एस0 के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा दो वर्षों में आवश्यक रूप से होनी चाहिए।	सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति या कुलपति द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र
04	किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित क्षेत्रीय विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता।	सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति या राज्य अधिकारी खेलकूद निदेशक का प्रमाण पत्र/क्रीडा परिषद के अध्यक्ष।
05	अन्तर विश्वविद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता।	सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति या क्रीडा परिषद के अध्यक्ष।
06	राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता।	शासन से सम्बन्धित खेलकूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
07	स्काउट्स एवं गाइड्स का पुरस्कार/राज्यपाल पुरस्कार।	राष्ट्रीय/राज्यपाल/कमिश्नर स्काउट्स एवं गाइड्स
08	ध्रुवपद या गुरूपद प्रशिक्षण प्राप्त	राष्ट्रीय/राज्यपाल/कमिश्नर स्काउट्स एवं गाइड्स
09	पुलिस	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र
10	होमगार्ड, बी0एस0एफ0, सी0आर0पी0एफ0, एस0एस0बी0, आई0टी0बी0पी0 आदि	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र
11	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्राविधिक संस्थाओं के शिक्षक का पाल्य एवं वार्ड तथा कर्मचारी वार्ड।	निदेशक/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा।
12	प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक/कर्मचारी पाल्य वार्ड (मान्यता प्राप्त विद्यालय में स्थायी रूप से पूर्ण वेतनमान पर होना अनिवार्य है)	मुख्य शिक्षा अधिकारी/अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक)/संयुक्त शिक्षा निदेशक/सहायक कमिश्नर/केन्द्रीय शिक्षा अधिकारी।

(5) शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी के पाल्य के प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी, तथा प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा निर्गत एवं प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र सही एवं विद्यालय के अभिलेखों के आधार पर है। प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी तथा प्रति हस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी अपना पूरा नाम व पद का उल्लेख करें।

(6) उप शिक्षा अधिकारी, उप विद्यालय निरीक्षक एवं कृते करके प्रदत्त एवं प्रतिहस्ताक्षरित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी वार्ड का प्रमाण पत्र मान्य नही होगा। मान्यता प्राप्त विद्यालय में पूर्ण वेतनमान तथा पूर्णकालिक शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी होना आवश्यक है।

8. श्रेष्ठता सूची तैयार करना तथा संस्थानों का आवंटन

(1) प्रवेश परीक्षा में अंक तथा अधिभार अंक (जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक होगी) को जोड़कर आरक्षित एवं अनारक्षित स्थानों के लिये पृथक–पृथक सूचियां तैयार की जायेंगी।

(2) यदि प्रवेश परीक्षा तथा अनुमन्य अधिभार अंक के आधार पर दो या दो से अधिक छात्रों के अंक समान होते हैं तो श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अथवा उससे सम्बद्ध/सहयुक्त/संघटक महाविद्यालय के छात्रों को वरीयता दी जायेगी। उपर्युक्त व्यवस्था के उपरान्त भी अंक समान आते हैं तो आयु में जेष्ठ को वरीयता दी जायेगी।

(3) श्रेष्ठता सूची के किसी अभ्यर्थी के आचरण के विरूद्ध जिलाधिकारी द्वारा लिखित सूचना दी गयी हो, अथवा किसी के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही चल रही हो अथवा किसी न्यायालय द्वारा अपराधिक मामले में दण्डित किया गया हो, अथवा विश्वविद्यालय परीक्षा मे अनुचित साधन करने के कारण दो वर्ष या उससे अधिक अवधि हेतु निष्कासित किया गया हो ऐसे अभ्यर्थी का सूची में नाम होते हुए भी प्रवेश न देने का अधिकार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या का होगा, जिसके लिये उन्हे विश्वविद्यालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(4) प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग का आयोजन किया जायेगा, जिसमें संस्थानों के चयन हेतु अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान किया जायेगा। संस्थानों का आवंटन रिक्त सीटों पर प्रवेश के आधार पर किया जायेगा।

(5) यदि कोई संस्थान स्वैच्छिक रूप से एसोसिएसन ऑफ फाइनेन्स बी0एड0 कॉलेजेज द्वारा संचालिज कॉमन प्रवेश परीक्षा में शामिल नही होता है, अथवा इस संगठन से सहयुक्त नही होता है, तो ऐसे सस्थानों।

9. संस्थानों में प्रवेश

(1) संस्थान आवंटन के उपरान्त 21 दिन के भीतर छात्र को महाविद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश ले लेना चाहिए, इस अवधि के उपरान्त प्रवेश हेतु उसका कोई हक नही रहेगा, और उसका अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

(2)(क) प्रवेश से पूर्व सम्बन्धित कॉलेज के प्राचार्य/प्राचार्या छात्रों के मूल प्रमाण पत्रो की जाँच करने के उपरान्त ही उन्हे प्रवेश देंगे।

(ख) अस्थाई प्रमाण पत्र (प्रोविजनल) के अन्तर्गत उल्लिखित प्रमाण–पत्र के लिये मान्य नही होंगे।

(ग) किसी भी छात्र को अन्तिम रूप में प्रवेश वर्जित करने से पूर्व प्राचार्य द्वारा कुलपति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित संख्या में सूची तैयार करने के साथ एक प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी। यदि कक्षायें प्रारम्भ होने के एक माह के भीतर कोई स्थान रिक्त हो जाता है, तो उनकी पूर्ति प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से की जायेगी।

(ड) चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को मुख्या चिकित्साधिकारी द्वारा दिये गये एवं प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र को प्रवेश से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। जिससे इस बात का स्पष्ठ उल्लेख होगा कि वह अभ्यर्थी हकलाता नही है, और कान, आँख या किसी अन्य बीमारी के कारण अध्यापक हाने के अयोग्य नही है।

बी0एड0 प्रवेश परीक्षा 2023 से सम्बन्धित आवश्यक निर्देश

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल टिहरी गढवाल सत्र 2023–25 के पूर्णकालिक प्रवेश के लिये परीक्षा की तैयारी अधोलिखित निर्देश के अनुसार कीजिए।

1. बी0एड0 प्रवेश परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों की उपलब्धियों का निम्न प्रश्न–पत्रो में मापन होगा।

प्रथम प्रश्न–पत्र	हिन्दी भाषा एवं सामान्य ज्ञान अथवा अंग्रेजी भाषा एवं सामान्य ज्ञान
द्वितीय प्रश्न–पत्र	एप्टीटयूट टेस्ट–कला, अथवा एप्टीटयूट टेस्ट– विज्ञान, अथवा एप्टीटयूट टेस्ट– वाणिज्य,

नोटः– प्रश्न–पत्र प्रथम में हिन्दी भाषा तथा सामान्य ज्ञान अथवा अंग्रेजी भाषा तथा सामान्य ज्ञान की परीक्षा देनी है। द्वितीय प्रश्न–पत्र में एप्टीटयूट टेस्ट– कला अथवा एप्टीटयूट टेस्ट–वाणिज्य, अथवा एप्टीटयूट टेस्ट–विज्ञान की परीक्षा देनी है।

2. प्रथम प्रश्न–पत्र को हल करने के लिये 01 घण्टे एवं द्वितीय प्रश्न–पत्र को हल करने के 01:30 घण्टे का समय दिया जायेगा। दोनों प्रश्न–पत्रों की परीक्षा एक ही दिन में होगी।

3. परीक्षा प्रश्न–पत्र एवं आर्हता अंक

प्रश्न –पत्र	कुल अंक	अर्हता अंक (सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा) वर्ग	अर्हता अंक अंक (आरक्षित वर्ग) एस0सी0/एस0टी0	समय
प्रथम–हिन्दी भाषा एवं सामान्य ज्ञान अथवा अंग्रेजी भाषा एवं सामान्य ज्ञान	200	80	54	01 घण्टे
द्वितीय– एप्टीटयूट टेस्ट–कला/एप्टीटयूट टेस्ट–विज्ञान/एप्टीटयूट टेस्ट –वाणिज्य	200	80	54	1.30 घण्टे
अंकों का योग	400	160	108	

4. प्रत्येक अभ्यर्थी को 400 अंक की परीक्षा देनी होगी। सामान्य वर्ग/ओ0बी0सी0 के अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्न–पत्र में पृथक–पृथक 40 प्रतिशत अंक और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रत्येक प्रश्न–पत्र में पृथक–पृथक 27 प्रतिशत अंक आर्हता के लिये प्राप्त करना आवश्यक है।

(प्रवेश परीक्षा हेतु अन्य निर्देश)

1. प्रत्येक प्रश्न–पत्र (पुस्तिका) के साथ उत्तर पत्रक (ANSWER KEY) पृथक से होगी।
2. दोनो प्रकार के प्रश्न–पत्रों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिये जायेंगे। प्रश्नों का स्वरूप बहुविकल्पीय होगा।
3. प्रत्येक प्रश्न–पत्र में दो खण्ड होंगे। प्रथम खण्ड के प्रश्न तथा द्वितीय खण्ड में प्रश्नों के उत्तर के लिये चार विकल्प दिये जायेंगे। उनमें से एक सही उत्तर के क्रम को काली इंक से उत्तर–पत्रक पर अंकित गोले को भरना होगा।

उत्तर का उदाहरण :–

(A) (B) (C) (D)

5. प्रथम प्रश्न–पत्र हिन्दी भाषा एवं सामान्य ज्ञान अथवा अंग्रेजी भाषा एवं सामान्य ज्ञान का होगा अर्थात अभ्यर्थी को सामान्य ज्ञान का प्रश्न–पत्र एवं हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का चयन करना है।
6. हिन्दी भाषा एवं सामान्य ज्ञान की पुस्तिका में पहले 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के तथा दूसरे 50 प्रश्न हिन्दी भाषा के होगे। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा एवं सामान्य ज्ञान की प्रश्न–पुस्तिका में पहले 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के तथा दूसरे 50 प्रश्न अंग्रेजी भाषा के होगे।
7. प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। यह प्रश्न–पत्र 200 अंको का होगा।
8. हिन्दी भाषा या अंग्रेजी भाषा परीक्षा में स्नातक स्तर की सामान्य हिन्दी/अंग्रेजी के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित प्रश्न होगे।
9. सामान्य ज्ञान के प्रश्न निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित होगे।
   1. भारतीय इतिहास 2. भौगोलिक विशेषताएं 3. भारतीय संस्कृति 4. वैज्ञानिक तथ्य 5. राजनीति विज्ञान 6. तकनीकी उपकरण 7. वर्तमान घटनायें 8. सामाजिक तथ्य 9. खेलकूद।
10. हिन्दी भाषा के लिए प्रश्नों का उदाहरणः–
    प्रश्न– जल का पर्यायवाची हैः– A. अनिल B. समीर C. सलिल D. अनल
    सही उत्तर– सलिल जिसका क्रमांक C उत्तर–पत्रक पर अंकित किया जायेगा।
11. अंग्रेजी भाषा के लिए प्रश्नों का उदाहरणः–
    Questions- Alternative of World Answer is-
    A- Result B- Service C- Calculate D- Reply
    सही उत्तर– Reply जिसका क्रमाक D उत्तर–पत्रक पर अंकित किया जायेगा।
12. सामान्य ज्ञान के लिए प्रश्नों का उदाहरण।
    प्रश्न– भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है।
    A. उत्तर प्रदेश B. केरल C. गुजरात D. पंजाब
    सही उत्तर– केरल जिसका क्रमांक B उत्तर–पत्रक पर अंकित किया जायेगा।
13. द्वितीय प्रश्न पत्र एप्टीट्यूट टेस्ट को होगा, एप्टीट्यूट टेस्ट तीन प्रकार का होगा।
    1. एप्टीट्यूट टेस्ट कला 2. एप्टीट्यूट टेस्ट– वाणिज्य 3. एप्टीट्यूट टेस्ट– विज्ञान।
    प्रत्येक एप्टीट्यूट टेस्ट के प्रश्न पत्र अलग–अलग होगे। अभ्यर्थी को तीनों में से उस टेस्ट का चयन करना जिसमें स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
14. एप्टीट्यूट टेस्ट की प्रश्न–पुस्तिका में 100 प्रश्न होगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। यह प्रश्न–पत्र 200 अंको का होगा।
15. एप्टीट्यूट टेस्ट कला में 50 प्रश्न सामान्य बुद्वि परीक्षा, तथा 50 प्रश्न कला संकाय के विषयों – इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान एवं अभिरूचि पर आधारित होगे।
16. एप्टीट्यूट टेस्ट–वाणिज्य में 50 प्रश्न सामान्य बुद्वि परीक्षा, तथा 50 प्रश्न वाणिज्य संकाय के विषयों से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान एवं अभिरूचि पर आधारित होगे।
17. एप्टीट्यूट टेस्ट–विज्ञान में 50 प्रश्न सामान्य बुद्वि परीक्षा, तथा 50 प्रश्न विज्ञान संकाय के विषयों भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित आदि से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान एवं अभिरूचि पर आधारित होगे।
18. सभी विषय कला, वाणिज्य तथा विज्ञान की पाठ्य वस्तु स्नातक स्तरीय सामान्य ज्ञान एवं अभिरूचि पर आधारित होगे।

19. एप्टीट्यूट टेस्ट के प्रश्नों का उदाहरणः–

प्रश्नः– रमेश कृष्ण से अधिक बुद्धिमान है। प्रमोद उमेश से कम बुद्धिमान है। उमेश कृष्ण से अधिक बुद्धिमान है। इस प्रकार सबसे अधिक बुद्धिमान हैः–

A. उमेश B. रमेश C. प्रमोद D. कृष्ण

सही उत्तर– रमेश जिसका क्रमांक B उत्तर–पत्रक पर अंकित किया जायेगा।

प्रश्नः– उत्तर प्रदेश का सबसे औद्योगिक नगर हैः–

A. गाजियाबाद B. नोएडा C. कानपुर D. आगरा

सही उत्तर– कानपुर जिसका क्रमांक C उत्तर–पत्रक पर अंकित किया जायेगा।

प्रश्नः– प्रश्न के प्रथम खण्ड में दो शब्दो को विशेष सम्बन्ध है द्वितीय खण्ड में दिये हुये शब्दों के लिये सामान सम्बन्ध का चयन कर उसके क्रमांक को अंकित कीजिए। लकडी, पानी, गुब्बारा।

A. आकाश B. रबड C. वायु D. उपरोक्त सभी

सही उत्तर– वायु, जिसका क्रमांक C उत्तर–पत्रक पर अंकित किया जायेगा।

प्रश्नः– एक रूपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता हैः–

A. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया B. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया C. भारत सरकार D. उपरोक्त सभी

सही उत्तर– भारत सरकार, जिसका क्रमांक C उत्तर–पत्रक पर अंकित किया जायेगा।

प्रश्नः– प्रश्न की संख्यायें किसी विशेष क्रम में रखी गयी है। उसी क्रम की श्रेणी को अगलरी संख्या का क्रमांक अंकित कीजिये।

श्रेणी 1, 4, 16, 25, A

A-38 B-26 C-36 D-32

सही उत्तर– 36 जिसका क्रमांक C उत्तर–पत्रक पर अंकित किया जायेगा।

कुलसचिव

Adm-Rahul 6/6/2023 3:57:53 PM

(प्रमाण–पत्रों के प्रारूप बी0एड0 हेतु)

प्रमाण–पत्र I (अनुसूचित जाति / जनजातियों के अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु0..आत्मज / आत्मजा श्री ....निवासी.. तहसील ....जनपद..उत्तराखण्ड राज्य के निवासी है तथा संशोधित शासनादेश 1956 के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के है।

दिनांकः–..

हस्ताक्षर सील सहित
जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी / तहसीलदार

Adm-Rahul 6/6/2023 3:57:53 PM

प्रमाण–पत्र II (उत्तरांचल शासन के शासनादेश सं0 1144/कार्मिक–2–2001–53(1)–2001 दिनांक 18–07–2001 के अनुसार अन्य पिछडी जाति के लिए प्रमाण–पत्र)

(शासनादेश में उल्लिखित पिछडी जातियों को ही लाभ देय होगा)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.. पुत्र/पुत्री श्री ....निवासी ग्राम...तहसील............................

जिला.....................................उत्तराखण्ड राज्य की (अन्य पिछडी जाति का नाम)...................... की जाति के व्यक्ति है यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0...उक्त अधिनियम 1994 की अनुसूची–2 (अधिसूचना संख्या 22/16/92 का0–2/1995 टी0सी0 दिनांक 8 दिसम्बर 1995 द्वारा यथा संशोधित) से अच्छादिन नही है।

श्री/श्रीमती/कु0...तथा इनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम..तहसील..................जिला............................में सामान्यतया रहता है। यह प्रमाण–पत्र राजस्व विभाग निरीक्षक श्री...की जांच आख्या.................................. पर जारी किया गया है।

स्थान..............................	प्रतिहस्ताक्षरित	हस्ताक्षर
दिनांक............................	उपजिलाधिकारी	तहसीलदार
	सील सहित	सील सहित

नोटः– अन्य पिछडी जाति का लाभ केवल उत्तरांचल शासन के शासनादेश सं0 1144/कार्मिक–2–2001–53(1)2001 दिनांक 18–7–2001 में उल्लिखित एवं शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित अन्य पिछडे वर्ग की जातियों को ही अनुमन्य होगा।

तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र उपजिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होना आवश्यक है।

Adm-Rahul 6/6/2023 3:57:53 PM

प्रमाण–पत्र III आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण–पत्र

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019, दिनांक 07 मार्च, 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिये आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाण पत्र संख्या..............................वर्ष......................हेतु मान्य

दिनांक................................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.. पुत्र/पत्नी/पुत्री...ग्राम/मुहल्ला... पोस्ट ऑफिस..जिला..पिन कोड........................ उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी स्त्रातों से वित्तीय वर्ष ....की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक रू0 8.00 (रूपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नही करता है–

(I) कृषि भूमि 05 एकड या उससे अधिक या

(II) आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक या

(III) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड या

(IV) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..जो कि ....जाति से है और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग सूची में सम्मिलित नही है।

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साईज का प्रमाणित फोटो

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर

नाम...

पदनाम...

Adm-Rahul 6/6/2023 3:57:53 PM

प्रमाण–पत्र IV (दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0..आत्मज/आत्मजा श्री...निवासी... तहसील... जनपद... उत्तराखण्ड राज्य के दिव्यांग की श्रेणी में आते हुए चर्मरोग, हकलाना, मूक, बधिर, या अन्य किसी ऐसी स्थिति में व्याधि से ग्रस्त नही है जिससे बच्चों में फैलन या उनके कक्षा शिक्षण में बाधा उपस्थित होने की सम्भावना हो। अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षमहै।

दिनांक..

हस्ताक्षर सील सहित

जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी

नोटः– न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांग होने का CMO द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र आवश्यक है। अधिकतम 60 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांग अभ्यर्थी आवेदन न करें।

SRI DEV SUMAN UTTARAKHAND UNIVERSITY, NEW TEHRI

प्रमाण–पत्र V (प्रतिरक्षा कर्मचारी से सम्बन्धित अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि ....श्री / श्रीमती / कु0.. आत्मज / आत्मजा श्री..प्रतिरक्षा कर्मचारी (पद)... पर कार्य कर रहे है / कार्य किया / ससम्मान सेवानिवृत्त हुये / उनकी सेवारत रहते हुए मृत्यु हो गयी थी / वह अपंग सेवा निवृत्त हो गये थे तथा श्री / श्रीमती / कु0..इनके पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी है।

दिनांक.....................................

हस्ताक्षर सील सहित

ऑफिसर कमाण्डेन्ट / सचिव, पुनर्वास सैनिक कल्याण बोर्ड

SRI DEV SUMAN UTTARAKHAND UNIVERSITY, NEW TEHRI

Adm-Rahul 6/6/2023 3:57:53 PM

प्रमाण–पत्र VI (अभ्यर्थी स्वयं भूतपूर्व सैनिक होने पर)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0..आत्मज/आत्मजा श्री..भूतपूर्व सैनिक ने..के पद पर कार्य किया/ससम्मान सेवानिवृत्त हुए है।

दिनांक....................................

हस्ताक्षर सील सहित

ऑफिसर कमाण्डेन्ट/सचिव, पुनर्वास सैनिक कल्याण बोर्ड

Adm-Rahul 6/6/2023 3:57:53 PM

प्रमाण–पत्र VII (स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ ....आत्मज/आत्मजा श्री...शासन के आलेखानुसार स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी है/थे तथा श्री/श्रीमती/कु0.......................................इनके पुत्र/पुत्री/पुत्र के पुत्र तथा अविवाहित पुत्री है।

दिनांकः–..

हस्ताक्षर सील सहित
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी

नोटः– प्रमाण–पत्र वर्तमान समय का होना आवश्यक है।

SRI DEV SUMAN UTTARAKHAND UNIVERSITY, NEW TEHRI

Adm-Rahul 6/6/2023 3:57:53 PM

प्रमाण–पत्र VIII (विधवा या तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थिनी हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती...आत्मज/आत्मजा श्री...एक विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला है, इनके पति श्री...की मृत्यु हो गयी/तलाक/परित्यक्ता दिनांक.................................. को कर दिया गया है।

दिनांकः–..

हस्ताक्षर सील सहित
उपजिलाधिकारी

नोटः– कानूनी प्रमाण–पत्र की प्रति भी संलग्न की जानी आवश्यक है।

SRI DEV SUMAN UTTARAKHAND UNIVERSITY, NEW TEHRI

प्रमाण–पत्र IX (पुलिस / पी0ए0सी0 / होमगार्ड / बी0एस0एफ0 / एस0एस0बी0 या आई0टी0बी0पी0 / सी0आर0पी0एफ0 के स्वयं अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती...आत्मज / आत्मजा श्री..विभाग...................................पद...पर सक्रिय पूर्णकालिक स्थाई रूप से सेवारत है / ससम्मान सेवानिवृत्त हुए है।

दिनांकः–...............................

हस्ताक्षर सील सहित
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रीजनल कमाण्डर
पी0ए0सी0 / होमगार्ड / बी0एस0एफ0 / एस0एस0बी0 या आई0टी0बी0पी0 / सी0आर0पी0एफ0

नोटः– होमगार्ड के लिए प्रमाण–पत्र केवल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित ही मान्य होगें।

****

SRI DEV SUMAN UTTARAKHAND UNIVERSITY, NEW TEHRI

S.No	CCode	NAME
1	103	SRI DEV SUMAN UTTARAKHAND UNIVERSITY CAMPUS GOPESHWAR
2	111	GOVT. P.G. COLLEGE DAKPATHAR, DEHRADUN
3	122	S.B.COLLEGE, VIKAS NAGAR DEHRADUN
4	141	DR. PITAMBER DUTT BARTWAL, HIMALAYA (P.G.) COLLEGE KOTDWARA
5	142	GOVT. (P.G.) COLLEGE, JAIHARIKHAL PAURI
6	145	GOVT. DEGREE COLLEGE, VEDIKHAL, PAURI
7	146	GOVT. DEGREE COLLEGE, NAINIDANADA, PAURI
8	151	GOVT. (P.G.) COLLEGE AGASTYAMUNI, RUDRAPRAYAG
9	164	RAM CHANDRA UNIYAL GOVT. (P.G.) COLLEGE, UTTARKASHI
10	170	NIMBUS SCHOOL OF EDUCATION JHAJRA, CHAKRATA ROAD, DEHRADUN
11	183	PHONICS GROUP OF INSTITUTE ROORKEE
12	225	SUNRISE ACADEMY MANAGEMENT SOCIETY RAIPUR ROAD, DEHRADUN
13	228	BEEHIVE COLLEGE, SELAQUI, DEHRADUN
14	237	SHIVALIK INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES SHERPUR, SHIMLA BY PASS ROAD, DEHRADUN
15	244	B.S.M. WOMEN B.ED COLLEGE ROORKEE (HARIDWAR)
16	255	CH. BHARAT SINGH INSTITUE OF TEACHER EDUCATION COURSES, HARIDWAR
17	256	ARIHANT EDUCATIONAL SOCIETY, DAULATPUR,NEAR PATANJALI, HARIDWAR (MINORITY)
18	257	AROMA GIRLS COLLEGE, NEAR PATANJALI, HARIDWAR (ONLY GIRLS)
19	258	ARYAN COLLEGE OF EDUCATION, BAHITERI HARIDWAR
20	259	ASHA ACADEMY, NEAR PATANJALI HARIDWAR
21	262	BLUE MOUNTAIN COLLEGE OF TEACHERS EDUCATION, SHASTRADHARA ROAD, DEHRADUN
22	263	HARISH CHANDRA RAMKALI B.ED COLLEGE, HARIDWAR
23	264	HARSH VIDHYA MANDIR COLLEGE OF EDUCATION, STATION ROAD, VILL-RAISE, DIST-HARIDWAR
24	265	HIMALAYAN INSTITUTE OF EDUCATION & TECHNOLOGY, VILL-JILASU, VIA-LANGASU, CHAMOLI
25	266	JAGANNATH VISHWA COLLEGE OF EDUCATION, VILL-MANJRI GRANT, DOIWALA, DEHRADUN
26	267	MAYA DEVI EDUCATIONAL FOUNDATION,VILL-CENTRAL HOPE TOWN, DEHRADUN
27	268	NORTHERN INDIA COLLEGE OF EDUCATION, VILL-BHADADI RAJPUTANA, DIST-HARIDWAR
28	270	OM BIO-SCIENCE & PHARMA COLLEGE OF B.ED, DIST-HARIDWAR
29	271	PITS B.ED COLLEGE BHATWARI, VILL-NAITALA, TEHSIL BHATWARI, DISTT-UTTARKASHI
30	272	RCP'S INSTITUTE OF EDUCATION, 09 MILE STONE ROORKEE HARIDWAR (MINORITY)
31	274	ROORKEE COLLEGE OF EUDCATION, VILL-SHERPUR KHELMAU, DISTT-HARIDWAR
32	276	SGBG MEMORIAL COLLEGE OF EDUCATION, MUNDOLI, DEWAL CHAMOLI
33	277	VIDUAVATI COLLEGE OF EDUCATION, ROORKEE, HARIDWAR
34	278	KLDAV(PG) COLLEGE ROORKEE HARIDWAR
35	279	ASHWATHAMA COLLEGE OF TEACHER EDUCATION, DEHRADUN
36	280	INSTITUTE OF PROGRESSICE STUDIES & DEVELOPMENT, HARIDWAR
37	281	BISHAMBER SAHAI B.ED INSTITUTE, ROORKEE

कुलसचिव
श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय

Adm-Rahul 6/8/2023 1:03:50 PM